मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१८

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ७ का संशोधन.

५. धारा ११ का स्थापन.

६. धारा १३ का संशोधन.

७. धारा १३-क का अंत:स्थापन.

८. धारा १९ का स्थापन.

९. धारा २१ का लोप.

१०. धारा २२ का स्थापन.

११. धारा २४ का स्थापन.

१२. धारा २७ का संशोधन.

१३. धारा २८ का संशोधन.

१४. धारा २९ का स्थापन.

१५. धारा ३५ का संशोधन.

१६. धारा ४१ का लोप.

१७. धारा ४४ का स्थापन.

१८. धारा ४५ का लोप.

१९. धारा ४६ का स्थापन.

२०. धारा ४७ का स्थापन.

२१. धारा ४९ का संशोधन.

२२. धारा ५० का स्थापन.

२३. धारा ५१ का संशोधन.

२४. धारा ५४ का स्थापन.

२५. धारा ५५ का लोप.

२६. धारा ५६ का संशोधन.

२७. धारा ५७ का संशोधन.

२८. धारा ५८ का संशोधन.

२९. धारा ५८-क का स्थापन.

३०. धारा ५८-ख का लोप.

३१. धारा ५९ का स्थापन.

३२. धारा ६० का स्थापन.

३३. अध्याय सात तथा अध्याय आठ का स्थापन.

३४. धारा १०४ का स्थापन.

३५. धारा १०५ का स्थापन.

३६. धारा १०६ का स्थापन.

३७. धारा १०७ का स्थापन.

३८. धारा १०८ का स्थापन.

३९. धारा १०९ का स्थापन.

४०. धारा ११० का स्थापन.

४१. धारा ११२ का लोप.

४२. धारा ११३ का स्थापन.

४३. धारा ११४ का स्थापन.

४४. धारा ११४-क का स्थापन.

४५. धारा ११५ का स्थापन.

४६. धारा ११६ का लोप.

४७. धारा ११८ का लोप.

४८. धारा ११९ का लोप.

४९. धारा १२० का संशोधन.

५०. धारा १२१ का लोप.

५१. धारा १२४ का स्थापन.

५२. धारा १२५ का संशोधन.

५३. धारा १२६ का संशोधन.

५४. धारा १२७ का स्थापन.

५५. धारा १२८ का संशोधन.

५६. धारा १२९ का स्थापन.

५७. धारा १३० का संशोधन.

५८. धारा १३१ का स्थापन.

५९. धारा १३२ का लोप.

६०. धारा १३३ का स्थापन.

६१. धारा १३६ का लोप.

६२. धारा १३८ का संशोधन.

६३. धारा १३९ का लोप.

६४. धारा १४० का स्थापन.

६५. धारा १४१ का स्थापन.

६६. धारा १४२ का स्थापन.

६७. धारा १४३ का स्थापन.

६८. धारा १४४ का स्थापन.

६९. धारा १४५ का संशोधन.

७०. धारा १४६ का स्थापन.

७१. धारा १४७ का संशोधन.

७२. धारा १४९ का संशोधन.

७३. धारा १५० का स्थापन.

७४. धारा १५१ का संशोधन.

७५. धारा १५३ का संस्थान.

७६. धारा १५४-क का संशोधन.

७७. धारा १५५ का संशोधन.

७८. धारा १५८ का संशोधन.

७९. धारा १६१ का संशोधन.

८०. धारा १६२ का लोप.

८१. धारा १६३ का लोप.

८२. धार १६५ का संशोधन.

८३. धारा १६८ का स्थापन.

८४. धारा १६९ का लोप.

८५. धारा १७१ का लोप.

८६. धारा १७२ का लोप.

८७. धारा १७४ का लोप.

८८. धारा १७६ का लोप.

८९. धारा १७८-क का स्थापन.

९०. धारा १८१-क का स्थापन.

९१. धारा १८२ का संशोधन.

९२. धारा १८३ का स्थापन.

९३. धारा १८४ का लोप.

९४. अध्याय चौदह का लोप तथा व्यावृत्ति.

९५. धारा २०३ का स्थापन.

९६. धार २१० का संशोधन.

९७. धार २२४ का संशोधन.

९८. धारा २२५ का लोप.

९९. धारा २२७ का संशोधन.

१००. धारा २२९ का संशोधन.

१०१. धारा २३० का संशोधन.

१०२. धारा २३१ का स्थापन.

१०३. धारा २३२ का लोप.

१०४. धारा २३३ का स्थापन.

१०५. धारा २३३-क का अन्त: स्थापन.

१०६. धारा २३४ का स्थापन.

१०७. धारा २३९ का संशोधन.

१०८. धारा २४० का संशोधन.

१०९. धारा २४३ का संशोधन.

११०. धारा २४४ का स्थापन.

१११. धारा २४५ का स्थापन.

११२. धारा २४६ का संशोधन.

११३. धारा २४८ का संशोधन.

११४. धारा २५० का स्थापन.

११५. धारा २५०-क का लोप.

११६. धारा २५२ का लोप.

११७. धारा २५३ का संशोधन.

११८. धारा २५४ का लोप.

११९. धारा २५५ का लोप.

१२०. धारा २५७ का संशोधन.

१२१. धारा २५८ का संशोधन.

१२२. अनुसूची एक का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा २ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ की उप-धारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) "आबादी" से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर, आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप भेद, जैसे 'ग्राम स्थल' या 'गांव स्थान' का अर्थ भी तद्नुसार लगाया जाएगा;";

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(च-1) "विकास योजना" का वही अर्थ होगा, जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में उसके लिए दिया गया है;";

(तीन) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(झ) "खाता" से अभिप्रेत है, ऐसा भू-खण्ड जिस पर भू-राजस्व पृथक् रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भू-धृति के अधीन धारित है;";

(चार) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ड-१) "भू-राजस्व" से अभिप्रेत है, धारित भूमि के लिए, राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें सम्मिलित हैं प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप;";

(पांच) खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(थ) "भू-खण्ड संख्याक" से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समनुदेशित संख्यांक;";

(छह) खण्ड (न) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "धारा १८८ के उपबंधों के अनुसार, मौसमी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या" लोप किया जाए;

(सात) खण्ड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(फ-1) "सेक्टर" से अभिप्रेत है, नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भू-भाग जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन सेक्टर के रूप में विरचित या मान्य किया गया है;

(फ-2) ''सेवा भूमि'' से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को उसकी पदावधि के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए दी गयी हो ;'';

(आठ) खण्ड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(भ) ''सर्वेक्षण संख्याक'' से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्याक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्याक और जिसकी प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गयी है;'';

(नौ) खण्ड (म) का लोप किया जाए;

(दस) खण्ड (य-३) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(य-३) ''दखलरहित भूमि'' से अभिप्रेत है, ऐसी भूमि जो आबादी या सेवाभूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है;'';

(ग्यारह) खण्ड (य-५) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(य-५) ''ग्राम'' से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भू-भाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भू-भाग जिसे किसी भू-सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करे.''.

धारा ४ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक करेंगे जैसा कि राज्य सरकार, मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचित करे.''.

धारा ७ का संशोधन

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''७. मण्डल की अधिकारिता-मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

धारा ११ का स्थापन

५. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''**११. राजस्व अधिकारी.**—राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:—

प्रमुख राजस्व आयुक्त;
आयुक्त;
अपर आयुक्त;
आयुक्त भू-अभिलेख;
अपर आयुक्त भू-अभिलेख
कलेक्टर;
अपर कलेक्टर;
जिला सर्वेक्षण अधिकारी;
उप खण्ड अधिकारी;
उप सर्वेक्षण अधिकारी;
सहायक कलेक्टर;
संयुक्त कलेक्टर;

डिप्टी कलेक्टर;
तहसीलदार;
अपर तहसीलदार;
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी;
भू-अभिलेख अधीक्षक;
नायब तहसीलदार;
सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक.".

धारा १३ का संशोधन

६. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) राज्य सरकार, किसी भी जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी प्रस्थापनाओं के लिए, विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त की गई आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी.";

(दो) उपधारा (३) का लोप किया जाए.

धारा १३-क का अन्त:स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१३-क. प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य.**—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाएं.".

धारा १९ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१९. तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति.—

(१) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे—

(क) तहसीलदार;
(ख) अपर तहलीदार ; तथा
(ग) नायब तहसीलदार;

नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं.

(२) कलेक्टर, किसी तहसीलदार को तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गयी हों, तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलेक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये हैं जैसा कि कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.''.

धारा २१ का लोप.

९. मूल अधिनियम की धारा २१ का लोप किया जाए.

धारा २२ का स्थापन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''२२. **उपखण्ड अधिकारी.**—कलेक्टर, किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भार-साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.''.

धारा २४ का स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''२४. **राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त की जाना.**—राज्य सरकार वे शक्तियां, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त कर सकेगी :

परन्तु—

(क) धारा ७२, ११३, १३५, १६५, २३७, २३८, २४३ एवं २५१ के अधीन कलेक्टर की शक्तियाँ;

(ख) धारा ५९, ११५, १७०, १७०क, १७०ख, २३४, २४१, २४२, २४८(२-क) एवं २५३ के अधीन उपखण्ड अधिकारी की शक्तियाँ;

(ग) धारा ४४ के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ, तथा

(घ) धारा ५० के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ;

किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त नहीं की जाएंगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये ''लोक सेवक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार में या किसी शासी निकाय में या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्था में पद धारण करता हो.''.

धारा २७ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २७ में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु उपखण्ड अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई जिले के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकेगा.''.

धारा २८ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा २८ में, शब्द "समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, भू-मापक तथा पटवारी" के स्थान पर, शब्द "किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक तथा पटवारी" स्थापित किए जाएं.

धारा २९ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**२९. मामलों को अंतरित करने की शक्ति.**—(१) जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आदेश देना समीचीन है, तो मण्डल निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए.

(२) आयुक्त, यदि उसकी राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह समीचीन है, तो यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए.".

धारा ३५ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ३५ में,—

(एक) उपधारा (१) का लोक किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसें आदेश की तारीख से या उस दशा में जब कि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गई हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त कराने के लिये आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को, जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था, सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, पारित किए गए आदेश को अपास्त कर सकेगा.".

धारा ४१ का लोप.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४१ का लोप किया जाए.

धारा ४४ का स्थापन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**४४. अपील तथा अपील प्राधिकारी.**—(१) उस स्थिति को छोड़कर जहाँ कि अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के प्रत्येक मूल आदेश की अपील—

(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है,—उपखण्ड अधिकारी को होगी;

(ख) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने पारित किया है—उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी:

(ग) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी ने पारित किया है—कलेक्टर को होगी;

(घ) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;

(ङ) यदि ऐसा आदेश किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, जिसे इस संहिता की धारा २४ के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं.—कलेक्टर को होगी;

(च) यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके कि संबंध में धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन निदेश दिया गया हो—ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके कि बारे में राज्य सरकार निदेश दे;

(छ) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है—आयुक्त को होगी;

(ज) यदि ऐसा आदेश आयुक्त ने पारित किया है—मण्डल को होगी.

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील में.—

(क) उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी;

(ख) आयुक्त द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मण्डल को होगी.

(३) द्वितीय अपील.—

(क) यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में फेरफारित किया गया हो या उलट दिया गया हो; या

(ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका हो; या

(तीन) यह कि इस संहिता द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई हो.

(४) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उससे उलटते हुए, पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में कि मूल आदेश अपीलनीय होता है.''.

धारा ४५ का लोप.

१८. मूल अधिनियम की धारा ४५ का लोप किया जाए.

धारा ४६ का स्थापन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''४६. **कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.**—धारा ४४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी.—

(क) किसी भी ऐसे आदेश की.—

(एक) जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) की धारा ५ में विनिर्दिष्ट आधारों पर विलम्ब के विचारण के लिये मंजूर या नामंजूर किया गया है; या

(दो) पुनर्विलोकन के लिये किए गए किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है; या

(तीन) आवेदन को, जो रोक (स्टे) के लिये मंजूर या नामंजूर किया गया है; या

(चार) जो अंतरिम स्वरूप का है; या

(पांच) जो धारा २९, ३०, १०४, १०६, ११४-क, १२७, १४६, १४७, १५०, १५२, १६१, २०७, २०८, २१०, २१२, २१३, २१५, २२० तथा २४३ के उपबंधों के अधीन पारित किया गया है,

कोई अपील नहीं होगी; और

(ख) धारा १३१ की उपधारा (१), धारा १३४, धारा १७३, धारा २३४, धारा २३९, धारा २४०, धारा २४१, धारा २४२, धारा २४४ तथा धारा २४८ के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी.''.

धारा ४७ का स्थापन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**४७. अपीलों की परिसीमा.**—प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि, अपील के लिए आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन होगी :

परन्तु जहां कोई आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहाँ अपील करने की परिसीमा की अवधि, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व, संहिता में यथा उपबंधित अनुसार होगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.''.

धारा ४९ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (३) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिये साधारणतया प्रतिप्रेषित नहीं करेगा.''.

धारा ५० का स्थापन.

२२. मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"५०. पुनरीक्षण.—(१) उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,—

(क) मण्डल, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें आयुक्त द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

(ख) आयुक्त, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

(ग) कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने.—

(एक) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो; या

(दो) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो; या

(तीन) अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है या सारवान अनियमितता की है;

तो मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

(२) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन.—

(क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध;

(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध;

(ग) पुनरीक्षण में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध;

(घ) धारा २१० के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध;

(ङ) जब तक कि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन, जो भी पश्चात् का हो, के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो,

ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां किसी आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, पुनरीक्षण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के लिये परिसीमा अवधि उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी.

(३) मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चिय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि.—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो; या

(ख) ऐसा आदेश, यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को, जिसके कि विरुद्ध यह किया गया था अपूरणीय क्षति कारित करेगा.

(४) पुनरीक्षण का प्रभाव राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो.

(५) किसी भी ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे.".

धारा ५१ का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(१) मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु,

(एक) यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है तो वह पहले कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी की, ठीक जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा;

(दो) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाऐगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो;

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण की कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियां लंबित रहती हैं;

(चार) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन, जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के पैंतालीस दिन के भीतर न किया गया हो.

(२) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवाय नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी नहीं था या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका;

(ख) कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो; या

(ग) कोई अन्य समुचित कारण.".

धारा ५४ का स्थापन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**५४. पुनरीक्षण का लंबित रहना.**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित हों,—

(क) यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हों, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जाएगी तथा विनिश्चित की जाएगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, तो ऐसे सक्षम राजस्व अधिकारी को अंतरित की जाएगी;

(ख) यदि वे मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई हों तो यथास्थिति, मण्डल या ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;

(ग) यदि वे बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शूरू की गई हों तो संबंधित संभाग के आयुक्त को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा;

(घ) यदि वे बंदोबस्त अधिकारी द्वारा शुरू की गई हों तो यथास्थिति, जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा.".

२५. मूल अधिनियम की धारा ५५ का लोप किया जाए. धारा ५५ का लोप.

२६. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, शब्द "यथास्थिति इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए" के स्थान पर, शब्द "इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए" स्थापित किए जाएं. धारा ५६ का संशोधन

२७. मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (२) का लोप किया जाए. धारा ५७ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा ५८ में,— धारा ५८ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन या राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, इस बाबत् जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसे दायित्व से पूर्णत: या भागत: छूट दी गई है.".

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए.

२९. मूल अधिनियम की धारा ५८-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ५८-क का स्थापन.

५८-क. भू-राजस्व के भुगतान से छूट.—इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गये दो हेक्टेयर तक किसी खाते;

(ख) गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग मे लायी गयी ऐसी अन्य भूमि जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

के संबंध में, कोई भी भू-राजस्व देय नहीं होगा.".

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए 'खाते' से अभिप्रेत है संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिश: धारित समस्त भूमि और संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित भूमियों में उसका हिस्सा, यदि कोई हो, का योग.".

३०. मूल अधिनियम की धारा 5८-ख का लोप किया जाए. धारा ५८-ख का लोप.

३१. मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ५९ का स्थापन.

"५९. **जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही है, के अनुसार भू-राजस्व**—(१) भूमि के निम्नलिखित उपयोग के संबंध में भू-राजस्व का निर्धारण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसी कि विहित की जाएं :—

(क) कृषि के प्रयोजन के लिए, जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है,

(ख) निवास गृहों के प्रयोजन के लिए;

(ग) शैक्षणिक प्रयोजन के लिए;

(घ) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए;

(ङ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए, जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित हैं;

(च) उपरोक्त मद (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन से भिन्न ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

(२) जहां कोई भूमि जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाने हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाए, वहां ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का, जिसके लिए कि निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गयी है.

(३) जहां कोई भूमि जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने की शर्त पर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त रूप से धारित है किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है, वहां वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो जाएगी और उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किया जाएगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित की गयी है.

(४) जहां किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहां ऐसे व्यपवर्तन पर प्रीमियम ऐसी दर पर संदेय होगा जो कि विहित की जाए.

(५) जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया जाता है, तो भूमि स्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा करेगा.

(६) भूमिस्वामी ऐसे व्यपवर्तन की उपखण्ड अधिकारी को उपधारा (५) के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यपवर्तित मानी जाएगी.

(७) उपधारा (६) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी यथाशक्य शीघ्र भूमि स्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा तथा भूमि स्वामी को या तो उपधारा (५) के अधीन गणना की पुष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भू-राजस्व की सही रकम की संसूचना देगा. उपधारा (५) के अधीन जमा की गई रकम के, उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की राशि भूमिस्वामी द्वारा ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर संदत्त की जाएगी:

परन्तु उपधारा (५) के अधीन जमा की गई रकम उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि साठ दिन के भीतर भूमिस्वामी को वापस की जाएगी.

(८) यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा (६) के अधीन प्राप्त प्रज्ञापना की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उपधारा (७) के अधीन भूमिस्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो, पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की बकाया पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिये देय नहीं होगी.

(९) यदि भूमिस्वामी उपधारा (६) के अधीन विहित अवधि के भीतर व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:

परन्तु पुनर्निधारित भू-राजस्व अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यपवर्तन की तारीख से देय होगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.

(१०) भूमि स्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही भूमि व्यपवर्तित करेगा जैसा कि तत्समय प्रवृत्त भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु इस धारा के अधीन भूमिस्वामी या उपखण्ड अधिकारी की कोई कार्रवाई लागू विधि के उपबंधों के प्रतिकूल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देने वाली नहीं समझी जाएगी:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन की गई किसी दण्डात्मक कार्रवाई का विचार किए बिना तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के प्रतिकूल ऐसे व्यपवर्तन के लिए भूमिस्वामी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा.

(११) प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना, यथास्थिति, उपधारा (६) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा प्रज्ञापना की तारीख या उपधारा (९) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख को प्रचलित दरों पर की जाएगी.

(१२) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित इस धारा के अधीन की समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी तथा उपखण्ड अधिकारी इस धारा के उपबंधों के अनुसार व्यपवर्तन के मद्दे प्रीमियम अधिरोपित करेगा और भू-राजस्व का निर्धारण करेगा.''.

धारा ६० का स्थापन.

३२. मूल अधिनियम की धारा ६० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''६०. भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है, का निर्धारण

उन समस्त भूमियों पर जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भूमि का निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.''.

अध्याय सात तथा अध्याय आठ का स्थापन.

३३. मूल अधिनियम की धारा ६१ से १०३ (दोनों सम्मिलित हैं) को अंतर्विष्ट करने वाले अध्याय-सात तथा अध्याय-आठ के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''अध्याय-सात

भू-सर्वेक्षण

६१. भू-सर्वेक्षण की परिभाषा ''भू-सर्वेक्षण'' से अभिप्रेत है—

(क) समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप—

(एक) भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना या कृषि प्रयोजनों तथा उनसे आनुषांगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करना;

(दो) भूमि का भूखण्ड संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान भूखण्ड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना तथा गैर कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषांगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नये भू-खण्ड संख्यांक विरचित करना तथा उन्हें ब्लाक में समूहीकृत करना;

(तीन) नगरेत्तर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषांगिक क्रियाकलाप;

(ख) यथास्थिति, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भूखण्ड संख्यांक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) तैयार करना;

(ग) यथास्थिति, खेत का नक्शा तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना;

(घ) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना;

(ङ) कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा कि विहित किया जाए.

६२. **आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति.**—राज्य सरकार, आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेखों का प्रबंध करेगा.

६३. **अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य.**—(१) राज्य सरकार एक या उससे अधिक अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी.

(२) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख ऐसे मामलों में या मामले के ऐसे वर्ग में, जैसा कि राज्य सरकार या आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं और अपर आयुक्त, भू-अभिलेख के संबंध में जब कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जाएगा कि वह इस संहिता या बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख नियुक्त किया गया है.

६४. **प्रस्थापित भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना.**—(१) आयुक्त, भू-अभिलेख किसी तहसील क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण, राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्रारंभ कर सकेगा.

(२) भू-सर्वेक्षण तहसील क्षेत्र में की समस्त भूमियों पर या उसके केवल ऐसे भाग पर हो सकेगा जैसा कि आयुक्त, भू-अभिलेख उपधारा (१) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे.

(३) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझी जाएंगी जब तक कि ऐसे भू-सर्वेक्षण को बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाए.

६५. **जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी.**—(१) ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं,—

(क) जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा;

(ख) उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी उसके उपखण्ड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा,

(ग) तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे.

(२) समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त, भू-अभिलेख के अधीनस्थ होंगे.

(३) जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.

(४) उपखण्ड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.

६६. **जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां.**—(1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां क्रमश: जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी.

(2) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित कर सकेगी.

६७. **सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्याक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना.**—इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—

(क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कराएगा तथा उस पर ऐसी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को संनिर्मित कर सकेगा जितनी कि आवश्यक हों;

(ख) ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ग) ऐसी भूमि को ब्लाक संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(घ) ब्लाक को भू-खण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भू-खण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नवीन भू-खण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ङ) नगरेतर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर के रूप में समूहीकृत कर सकेगा:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भू-खण्ड इस संहिता के अधीन भू-खण्ड समझे जाएंगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भू-खण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा.

६८. **सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति.**—(१) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें उतने उपखण्डों में उपविभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों को एकल सर्वेक्षण संख्यांक में समामेलित कर सकेगा.

(२) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ब्लाक संख्यांकों को तथा भू-खण्ड संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित या उन्हें इतने उपखण्डों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों को एकल ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक में समामेलित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन नहीं होगा जहां कि ऐसा ब्लाक या भू-खण्ड या उसका कोई भाग मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आता हो.

(३) किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

(४) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्यांकों को किसी ब्लाक से निकालकर या एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्यांकों को उससे लगे हुए ब्लाक में जोड़कर किसी ब्लाक को परिवर्तित कर सकेगा.

(५) जहां कोई खाता कई सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों से मिलकर बना हो वहां जिला सर्वेक्षण अधिकारी, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के लिए देय भू-राजस्व का निर्धारण करेगा.

(६) जब कभी सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाए तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन तैयार किए गए या संधारित किए गए समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों की शुद्धि करेगा.

६९. **भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप खण्डों की प्रविष्टि.**—सर्वेक्षण संख्यांकों और भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप खंडों के क्षेत्रफल तथा उनका निर्धारण और ब्लॉक संख्यांकों के क्षेत्रफल की प्रविष्टि भू-अभिलेख में ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

७०. **ग्राम की आबादी का अवधारण.**—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम की दशा में भूमियों में के अधिकारों का सम्यक् ध्यान रखते हुए, निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने वाला क्षेत्रफल अभिनिश्चित करेगा तथा अवधारित करेगा और ऐसे क्षेत्रफल को ग्राम की आबादी समझा जाएगा.

७१. **ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति.**—(१) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या अधिक ग्रामों का गठन करने के लिए किसी ग्राम को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को सम्मिलित कर एक ग्राम गठित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे ग्राम के, जो उसके सामीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपविर्जत करके, परिवर्तित कर सकेगा.

(२) जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या दो से अधिक सेक्टर का गठन करने के लिए किसी सेक्टर को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक सेक्टरों को एक सेक्टर गठित करने के प्रयोजन से सम्मिलित कर सकेगा या किसी सेक्टर की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे सेक्टर के, जो कि उसके सामीप्य में हों, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करके परिवर्तित कर सकेगा.

७२. **निर्धारण.**—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक खाते पर, ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाएं, निर्धारण नियत करेगा.

७३. **समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी.**—जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसी समस्त भूमियों पर, जिन पर सर्वेक्षण विस्तारित होता है, निर्धारण करेगा, चाहे ऐसी भूमियां भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हों या न हों.

७४. **नक्शे तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य.**—जब कोई क्षेत्र भूमि सर्वेक्षण के अधीन हो, तो, ऐसे क्षेत्र के नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य, कलेक्टर के पास से जिला सर्वेक्षण अधिकारी को अंतरित हो जायेगा जो इसके बाद अध्याय-नौ से अठारह के किन्हीं उपबंधों के अधीन कलेक्टर, को प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

७५. **गलतियों को ठीक करने की उपखण्ड अधिकारी की शक्ति.**—उपखण्ड अधिकारी भू-सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् किसी भी समय सर्वेक्षण में हुई गलती अथवा अंकगणितीय अशुद्ध गणना के कारण किसी सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अथवा ब्लाक संख्यांक के क्षेत्रफल अथवा निर्धारण में हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा:

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं होगा.

७६. **भू-सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में, इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा किया जाना.**—ऐसे क्षेत्र में, जो भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इस अध्याय के अधीन उपबंधित क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

७७. **नियम बनाने की शक्ति.**—राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन भू-सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.".

धारा १०४ का स्थापन.

३४. मूल अधिनियम की धारा १०४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१०४. नगरेतर क्षेत्र में पटवारी हल्कों की विरचना तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों की विरचना और पटवारियों तथा नगर सर्वेक्षकों की नियुक्ति.—**

(१) आयुक्त, भू-अभिलेख, प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त करेगा तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित करेगा और किसी भी समय विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टर की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन पटवारी हल्कों या सेक्टरों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टरों को समाप्त कर सकेगा.

(२) कलेक्टर, शुद्ध भू-अभिलेखों को रखने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसे कि विहित किए जाएं, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक पटवारी तथा प्रत्येक सेक्टर में एक नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति करेगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन नगरीय क्षेत्र में सेक्टर की विरचना होने तक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इसमें विद्यमान प्रत्येक ग्राम एक सेक्टर के रूप में समझा जाएगा तथा ऐसे ग्राम के सुसंगत भू-अभिलेख ऐसे सेक्टर के भू-अभिलेख समझे जाएंगे.".

धारा १०५ का स्थापन.

३५ मूल अधिनियम की धारा १०५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०५. **नगरेतर क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना.**—आयुक्त, भू-अभिलेख, किसी तहसील में के पटवारी हल्कों को, राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विन्यस्त करेगा और किसी भी समय किसी वृत्त की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन वृत्तों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान को समाप्त कर सकेगा.".

धारा १०६ का स्थापन.

३६. मूल अधिनियम की धारा १०६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०६. नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति.—कलेक्टर, प्रत्येक राजस्व निरीक्षक वृत्त में, भू-अभिलेखों को तैयार किए जाने तथा संधारण, पर्यवेक्षण करने तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जैसे कि विहित किए जाएं, राजस्व निरीक्षक को नियुक्त कर सकेगा.".

धारा १०७ का स्थापन.

३७. मूल अधिनियम की धारा १०७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१०७. ग्राम, आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शे.**—(१) प्रत्येक ग्राम के लिए—

(क) सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा ब्लाक संख्यांकों की सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "ग्राम का नक्शा" कहलाएगा;

(ख) आबादी के लिए धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला, पृथक् पृथक् भू खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "आबादी का नक्शा" कहलायेगा;

(ग) व्यवर्तित की गई भूमियों के लिए, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र, पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "ब्लाक का नक्शा" कहलाएगा.

(२) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला पृथक्-पृथक् भू-खण्ड सख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्रत्येक सेक्टर के लिए एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "सेक्टर का नक्शा" कहलाएगा.

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन नक्शा ऐसे पैमाने (स्केल) पर तैयार किया जाएगा जो कि विहित किया जाए.".

धारा १०८ का स्थापन

३८. मूल अधिनियम की धारा १०८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०८. **अधिकार अभिलेख.**—(१) प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होगी:—

(क) समस्त भूमिस्वामियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग किए जा रहे हों और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;

(ख) समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम तथा पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों का तथा वह प्रयोजन जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा हो तथा उनके क्षेत्रफल और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;

(ग) ग्राम की आबादी में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों या यथा स्थिति नगरीय क्षेत्र में की ऐसी भूमि में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम जो कि ऐसे नगरीय क्षेत्र के गठन के पूर्व ग्राम की आबादी थी, भूमि में उनके हित की प्रकृति, उनके द्वारा धारित भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही हो, सहित;

(घ) राज्य सरकार द्वारा या किसी अधिनियमिति के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के निदेश के अधीन किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई या दी गई भूमि में हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा, निम्न सहित—

(एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों के प्रकार और शर्तें तथा दायित्व, यदि कोई हों;

(दो) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यदि कोई हो; और

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाएं.

(२) उपधारा (१) में वर्णित अधिकार अभिलेख, राजस्व सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे, तैयार किया जाएगा.".

धारा १०९ का स्थापन

३९. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०९. **अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी:**—(१) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में पूर्ण अधिकार हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर विहित प्ररूप में देगा,—

(क) नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में पटवारी को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को,

(ख) नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में नगर सर्वेक्षक को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को:

परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवस्यक हो या अन्यथा निरर्हित हो, तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी संपत्ति का भारसाधक हो, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट करेगा.

''**स्पष्टीकरण एक** : ऊपर वर्णित किए गए अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का अधिनियम संख्यांक ४) की धारा १०० में विनिर्दिष्ट किए गए प्रकार का कोई ऐसा भार, जो कि बंधक की कोटि में नहीं आता है, नहीं है.

स्पष्टीकरण दो : कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कि पक्ष में किसी बंधक का मोचन हो जाए या भुगतान कर दिया जाए या किसी पट्टे का पर्यवसान हो जाए, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत् अधिकार अर्जित करता है.

स्पष्टीकरण तीन : इस धारा के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तिशः सौंपी जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी या ऐसी अन्य रीति में भेजी जा सकेगी जैसी कि विहित की जाए.

स्पष्टीकरण चार : इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अन्यथा निरर्हित'' में सम्मिलित है नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, २०१६ (२०१६ का ४९) की धारा २ के खण्ड (५) में यथा परिभाषित नि:शक्तजन हैं.

(२) जब कोई ऐसा दस्तावेज जिसके कि द्वारा ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाती है या जिसके संबंध में एक खसरा तैयार किया गया है, कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वापित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररुप में तथा ऐसे समय पर, जैसी कि विहित किया जाए, प्रज्ञापना भेजेगा

(३) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों, हित या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जो उसमें प्रविष्ट किये जा चुके .. किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी की, जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने या उसको संशोधित करने में लगा हो, लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या संशोधन के लिए आवश्यक समस्त ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हो, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके निरीक्षण के लिए दे या पेश करे. प्रस्तुत की गयी जानकारी या पेश किए गए दस्तावेज की लिखित अभिस्वीकृति व्यक्ति को दी जाएगी.

(४) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित की गयी रिपोर्ट करने में या उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित की गयी जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा.

(५) इस धारा के अधीन किसी अधिकार अर्जन से संबंधित किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के पश्चात् प्राप्त हुई हो, धारा ११० के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.''.

धारा ११० का स्थापन.

४०. मूल अधिनियम की धारा ११० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"११०. **भू-अभिलेखों में अधिकार—अर्जन बाबत् नामांतरण.**—(१) पटवारी या धारा १०९ के अधीन नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन के, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया है.

(२) यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार—अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट जो कि उपधारा (१) के अधीन उसे प्राप्त हुई हों, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किया जाए, उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा.

(३) धारा १०९ के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार पंद्रह दिन के भीतर,—

(क) अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा; और

(ग) अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चस्पा करेगा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा;

(४) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में तीस दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में पांच मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा.

(५) तहसीलदार उपधारा (४) के अधीन पारित किये गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में तीस दिन के भीतर पक्षकारों नि:शुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात् मामले को बंद करेगा:

परन्तु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कलावधि के भीतर प्रदाय नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा.

(६) धारा ३५ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जाएगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जाएगा.

(७) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में दो माह के भीतर पूर्ण की जाएगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के छह माह के भीतर पूरी की जाएंगी. उस दशा में, जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नही की जाती हैं, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप तथा रीति में जैसा कि विहित किया जाए, कलेक्टर को देगा.".

धारा ११२ का लोप

४१. मूल अधिनियम की धारा ११२ का लोप किया जाए.

धारा ११३ का स्थापन.

४२. मूल अधिनियम की धारा ११३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"११३. **अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण.** कलेक्टर, किसी भी समय, लेखन संबंधी किन्हीं भी गलतियों को तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को जिनके कि संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों, कि वे धारा १०८ के अधीन तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में हुई हैं, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा.".

४३. .—मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ११४ का स्थापन.

"११४. **भू-अभिलेख**—(१)निम्नलिखित भू-अभिलेख प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा धारा १०७ के अधीन ब्लॉक का नक्शा;

(ख) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख;

(ग) ग्राम का खसरा या ग्राम की क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित की जाए;

(घ) धारा ११४--क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;

(ङ) (एक) धारा २३३ के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;

(दो) धारा २३४ के अधीन निस्तार पत्रक;

(तीन) धारा २४२ के अधीन वाजिब-उल-अर्ज, यदि कोई हो;

(च) व्यपवर्तित की गई भूमि के ब्यौरे; और

(छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं.

(२) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर के लिए निम्नलिखित भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) धारा १०७ के अधीन सेक्टर का नक्शा;

(ख) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख;

(ग) सेक्टर का खसरा या सेक्टर की क्षेत्र पुस्तिका ऐसे प्ररूप में जो कि विहित की जाए;

(घ) धारा ११४-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;

(ङ) (एक) धारा २३३ के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;

(दो) धारा २३३-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि;

(च) व्यपवर्तित की गयी भूमि के ब्यौरे; और

(छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं.".

४४. मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ११४-क का स्थापन.

"**११४-क. भू-अधिकार पुस्तिका.**—(१) तहसीलदार, ऐसे प्रत्येक भूमिस्वामी को, जिसका नाम धारा ११४ के अधीन तैयार किए गए खसरे में प्रविष्ट है, यथास्थिति, किसी ग्राम में के या सेक्टर में के उसके समस्त खातों के बारे में एक भू-अधिकार पुस्तिका, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के, जो कि विहित की जाए, भुगतान करने पर उसे उपलब्ध कराएगा.

(२) भू-अधिकार पुस्तिका दो भागों से मिलकर एक पुस्तक के रूप में आबद्ध होगी जिसमें ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होंगी जो कि विहित की जाएं.

(३) तहसीलदार स्वप्रेरणा से या भूमिस्वामी के आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, भू-अधिकार पुस्तिका में किसी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर सकेगा.''.

धारा ११५ का स्थापन.

४५. मूल अधिनियम की धारा ११५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**११५. भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण** :—(१) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा ११४ के अधीन तैयार किये गए भू-अभिलेखों में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी :

परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश—

(क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये; और

(ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए;

बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे.''.

धारा ११६ का लोप.

४६. मूल अधिनियम की धारा ११६ का लोप किया जाए.

धारा ११८ का लोप.

४७. मूल अधिनियम की धारा ११८ का लोप किया जाए.

धारा ११९ का लोप.

४८. मूल अधिनियम की धारा ११९ का लोप किया जाए.

धारा १२० का संशोधन.

४९. मूल अधिनियम की धारा १२० में, शब्द ''मापक'' के स्थान पर, शब्द 'नगर सर्वेक्षक' स्थापित किए जाएं.

धारा १२१ का लोप.

५०. मूल अधिनियम की धारा १२१ का लोप किया जाए.

धारा १२४ का स्थापन.

५१. मूल अधिनियम की धारा १२४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१२४. ग्रामों, सेक्टरों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों का संनिर्माण.**—(१) समस्त ग्रामों तथा सेक्टरों की सीमाएं नियत की जाएंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित किया जाएगा.

(२) राज्य सरकार, किसी भी ग्राम या सेक्टर के संबंध में, अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकेगी कि किसी ग्राम या सेक्टर या उसके भाग के समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों या भू खण्ड संख्यांकों की भी सीमाएं नियत की जाएं तथा सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित भी किया जाए